RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अगस्त
12
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

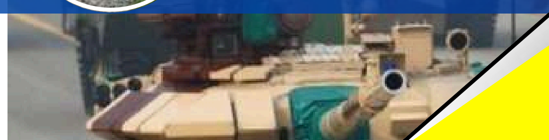

By Ankit Avasthi Sir

आरबीआई के नए को-लेंडिंग नियम 2025 / RBI New Co-Lending Rules 2025

संदर्भ:

आरबीआई के नए को-लेंडिंग नियम, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे, के तहत अब ऋण का **कम से कम 10% हिस्सा ऋणदाता बैंक** को खुद रखना अनिवार्य होगा।

- इसके साथ ही, इस योजना में भागीदारी के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें अब अधिक संख्या में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) और वित्तीय संस्थान शामिल हो सकेंगे।

आरबीआई के नए को-लेंडिंग नियम (2025):

1. न्यूनतम ऋण बरकरार रखने की आवश्यकता-

- **को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA)** में प्रत्येक ऋणदाता को **कम से कम 10% ऋण** अपनी पुस्तकों (Books) में रखना अनिवार्य।
- उद्देश्य – **साझा क्रेडिट जोखिम** और **जिम्मेदारी सुनिश्चित करना**।
- ऋण उत्पन्न करने वाले (Loan Originator) को ऋण **15 दिनों के भीतर** सह-ऋणदाता (Co-lender) को स्थानांतरित करना होगा।
  - देरी होने पर- वह ऋण **को-लेंडिंग** के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

2. को-लेंडिंग का विस्तारित दायरा-

- पहले (नवंबर 2020 नियम): केवल **बैंकों व एनबीएफसी** के बीच, जहाँ एनबीएफसी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Loans) बनाते थे और **≥20% हिस्सा** अपने पास रखते थे।
- अब (2025): को-लेंडिंग की अनुमति इनके बीच भी –
  1. सभी **वाणिज्यिक बैंक** (Small Finance Banks को छोड़कर)
  2. **वित्तीय संस्थान**
  3. **एनबीएफसी** (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित)
- अब **सुरक्षित (Secured) और असुरक्षित (Unsecured)** दोनों प्रकार के ऋण शामिल।

3. डिजिटल लेंडिंग प्रावधान-

- **आरबीआई (डिजिटल लेंडिंग) दिशा-निर्देश, 2025** के तहत संचालित।
- मुख्य बिंदु –
  - प्रक्रियाओं में **पारदर्शिता**
  - **डेटा गोपनीयता** की सुरक्षा
  - **उपभोक्ता संरक्षण** के उपाय

को-लेंडिंग (Co-Lending)-

अर्थ:

- यह एक **सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था** है, जिसमें **दो ऋणदाता संस्थान** (जैसे बैंक और एनबीएफसी) मिलकर एक ही उधारकर्ता को ऋण प्रदान करते हैं।
- इसमें दोनों संस्थानों के **वित्तीय संसाधन** और **विशेषज्ञता** मिलकर काम करती है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा और अधिक पूंजी उपलब्ध होती है।

पृष्ठभूमि:

- **2018** – आरबीआई ने *को-ओरिजिनेशन फ्रेमवर्क* (Co-Origination Framework) शुरू किया, जिसके तहत **बैंक + एनबीएफसी** मिलकर ऋण दे सकते थे।
- **2020** – इस ढाँचे को अपडेट कर **को-लेंडिंग मॉडल (CLM)** नाम दिया गया।

मुख्य लाभ:

1. **क्रेडिट जोखिम का साझा वहन**।
2. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में **विस्तृत पहुँच**।
3. **बैंक के सस्ते फंड** और **एनबीएफसी की लास्ट-माइल पहुंच** का संयोजन।

निष्कर्ष:

आरबीआई का संशोधित को-लेंडिंग फ्रेमवर्क सहयोगात्मक ऋण देने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो साथ ही सतर्क जोखिम-प्रबंधन को भी सुनिश्चित करता है। न्यूनतम 10% ऋण राशि ऋणदाता बैंक द्वारा बनाए रखने और पात्र भागीदारों के दायरे का विस्तार करने से यह पहल ऋण प्रणाली की स्थिरता को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में क्रेडिट प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायक होगी।

रासायनिक रूप से दूषित स्थलों पर नए नियम / new rules on chemically contaminated sites

संदर्भ:

पर्यावरण मंत्रालय ने **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम** के तहत नए नियम जारी किए हैं, जो रासायनिक प्रदूषण वाले स्थलों को संबोधित करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। इन नियमों को **"पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषित स्थलों के प्रबंधन) नियम, 2025"** कहा गया है। ये नियम देशभर में पहले से पहचाने गए कई रासायनिक प्रदूषित स्थलों को ठीक करने की कानूनी रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो अब तक अनुपस्थित थी।

दूषित स्थल (Contaminated Sites) – CPCB परिभाषा-

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार –

- वे स्थल जहाँ अतीत में **खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (Hazardous & Other Wastes)** डाले गए थे।
- इसके कारण **मिट्टी, भूजल और सतही जल** में प्रदूषण हुआ।
- यह **मानव स्वास्थ्य** और **पर्यावरण** के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

मुख्य कारण:

1. जब **खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन पर कोई नियम** लागू नहीं थे, तब इन स्थलों का विकास हुआ।
2. **प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग** बंद हो गए।
3. सफाई (Remediation) की लागत प्रदूषक की क्षमता से अधिक।

दूषित स्थलों के प्रकार: लैंडफिल (Landfill), कूड़ा-करकट डंप (Dump), अपशिष्ट भंडारण व उपचार स्थल, स्पिल-साइट (Spill-site), रासायनिक अपशिष्ट संभाल व भंडारण स्थल

भारत में स्थिति:

- **103 स्थल** पहचाने गए।
- **केवल 7 स्थलों** पर सफाई कार्य शुरू हुआ।
- **सफाई प्रक्रिया**: उचित तकनीक से मिट्टी, भूजल, सतही जल और तलछट (Sediment) की सफाई।

दूषित स्थलों के लिए नियमों की आवश्यकता- पृष्ठभूमि:

- **2010** – पर्यावरण मंत्रालय ने Capacity Building Program for Industrial Pollution Management Project शुरू किया, जिसका उद्देश्य था **राष्ट्रीय दूषित स्थल सुधार कार्यक्रम** (National Program for Remediation of Polluted Sites) बनाना।
- इसमें 3 मुख्य कार्य शामिल थे –
    1. संभावित दूषित स्थलों की सूची तैयार करना।
    2. दूषित स्थलों के आकलन व सुधार (Assessment & Remediation) के लिए दिशानिर्देश बनाना।
    3. सुधार हेतु **कानूनी, संस्थागत और वित्तीय ढाँचा** तैयार करना।
- पहले दो कार्य पूरे हुए, लेकिन **कानूनी ढाँचे** की कमी थी, जिसे **25 जुलाई 2025 को जारी नियमों** के माध्यम से पूरा किया गया।

नए नियमों की प्रक्रिया:

1. **जिला प्रशासन:** हर **छह माह** में "संभावित दूषित स्थल" की रिपोर्ट तैयार करेगा।
2. **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / रेफरेंस ऑर्गनाइजेशन**
    - सूचना मिलने के **90 दिनों में प्रारंभिक आकलन**।
    - अगले **3 माह में विस्तृत सर्वे** और पुष्टि कि स्थल वास्तव में दूषित है या नहीं।
3. **आकलन मानक:**
    - खतरनाक रसायनों के स्तर की जाँच (वर्तमान में 189 रसायन *Hazardous and Other Wastes Rules, 2016* में सूचीबद्ध)।
    - यदि सुरक्षित सीमा से अधिक → स्थल की जानकारी सार्वजनिक और पहुँच पर प्रतिबंध।
4. **सुधार योजना: विशेषज्ञों की टीम** द्वारा तैयार।
5. **जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान:**
    - **90 दिन** में जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था चिन्हित।
    - जिम्मेदार व्यक्ति को सफाई की लागत वहन करनी होगी, अन्यथा केंद्र/राज्य सरकार सफाई खर्च वहन करेगी।
6. **कानूनी दायित्व**: यदि दूषण से **मृत्यु या क्षति** सिद्ध होती है- दंड *भारतीय न्याय संहिता, 2023* (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के तहत।

अपवर्जन: निम्न स्रोतों से होने वाला दूषण इन नियमों के अंतर्गत **शामिल नहीं** है, क्योंकि इनके लिए **अलग कानून** मौजूद हैं –

1. **रेडियोधर्मी अपशिष्ट** (Radioactive Waste)
2. **खनन गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण** (Mining Operations)
3. **तेल प्रदूषण** (Oil Pollution)
4. **डंप साइट से ठोस अपशिष्ट** (Solid Waste from Dump Sites)

चुनौतियाँ (Challenges):

- दूषित स्थल को **सुरक्षित स्तर** पर लाने के लिए **कोई निश्चित समयसीमा** निर्धारित नहीं है।

मेडिकल टूरिज्म / Medical Tourism

संदर्भ:

भारत में जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच चिकित्सा उद्देश्य से आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या **1.31 लाख** तक पहुंच गई है, जो चिकित्सा पर्यटन में तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। यह जानकारी पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है।

मेडिकल टूरिज्म (Medical Tourism)-

अर्थ:

- जिसे **Medical Value Travel (MVT)**, **Health Tourism** या **Global Healthcare** भी कहा जाता है।
- इसका मतलब है – **स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करके यात्रा करना**।

मुख्य सेवाएँ:

- **Elective Procedures** (इच्छानुसार कराई जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाएँ)
- **जटिल शल्य चिकित्सा** (Complex Surgeries)
- अन्य विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाएँ

भारत की स्थिति: **Medical Tourism Index (2020-21)** में **46 गंतव्यों** में से भारत का स्थान **10वाँ**।

मेडिकल टूरिज्म – प्रमुख रुझान एवं सरकारी प्रयास

प्रमुख रुझान (Key Trends)

1. **जनवरी–अप्रैल 2025** – चिकित्सा कारणों से आए विदेशी पर्यटक (FTAs): **1,31,856** (कुल FTAs का **4.1%**)।
2. **2024 शीर्ष स्रोत देश** –
   - **बांग्लादेश** (4.8 लाख)
   - **इराक**
   - **सोमालिया**
   - **ओमान**
   - **उज़्बेकिस्तान**
3. **2024** – कुल मेडिकल FTAs: **6.44 लाख** (2020 के **1.82 लाख** से वृद्धि)।

भारत में मेडिकल टूरिज्म का महत्व:

1. प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता:

- **2022** में भारत का मेडिकल टूरिज्म बाज़ार: **6 अरब अमेरिकी डॉलर**।
- **2026** तक अनुमानित मूल्य: **13 अरब अमेरिकी डॉलर**।
- स्वास्थ्य, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, परिवहन और एविएशन क्षेत्रों के लिए राजस्व उत्पन्न करता है।

2. रोजगार सृजन:

- **प्रत्यक्ष रोजगार** – अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर, वेलनेस सेंटर में।
- **अप्रत्यक्ष रोजगार** – होटल, ट्रैवल एजेंसियाँ, मेडिकल फ़ैसिलिटेशन, और अनुवाद सेवाओं में।

3. वैश्विक छवि और सॉफ्ट पावर:

- भारत को **सस्ते और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं** के केंद्र के रूप में ब्रांड करता है।
- **हेल्थ डिप्लोमेसी** से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत होते हैं।

सरकारी प्रयास (Government Efforts):

1. **'Heal in India' पहल** – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।
2. **e-Medical Visa** – अब **171 देशों** के लिए उपलब्ध।
3. **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)** – अस्पताल, हेल्थ फ़ैसिलिटेटर, होटल और एयरलाइन्स को जोड़ना।
4. **राज्य-स्तरीय पहल: गुजरात:** वेलनेस रिट्रीट को बढ़ावा, स्टाफ़ प्रशिक्षण, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन।

निष्कर्ष:

भारत में चिकित्सा पर्यटन, जो किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तथा 'हील इन इंडिया' जैसे मजबूत सरकारी प्रयासों द्वारा प्रेरित है, देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और कूटनीतिक संपत्ति बन चुका है। यह क्षेत्र 2026 तक 13.42 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रिपोर्ट / Report on Electric Vehicles in India

संदर्भ:

नीति आयोग ने **'Unlocking a $200 Billion Opportunity: Electric Vehicles in India'** नामक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों का समग्र और समयोचित मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संक्रमण को तेज करने के लिए आवश्यक प्रमुख उपायों को भी उजागर करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु-

मुख्य उद्देश्य:

1. **आयातित ईंधन** पर निर्भरता कम करना।
2. EV बैटरियों की **स्टोरेज क्षमता** का उपयोग कर **नवीकरणीय ऊर्जा** का हिस्सा बढ़ाना।
3. **ग्रीनहाउस गैस (GHG)** उत्सर्जन में कमी।
4. **वायु गुणवत्ता** में सुधार।
5. बिजली उत्पादन संयंत्रों के **प्लांट लोड फैक्टर (PLF)** में सुधार।
6. तेजी से बढ़ते **वैश्विक EV बाज़ार** में नेतृत्व हासिल करना।

लक्ष्य (Goal): 2030 तक कुल वाहन बिक्री में **30% हिस्सेदारी** इलेक्ट्रिक वाहनों की।

EV अपनाने की स्थिति:

- **2016** – भारत में EV बिक्री: **50,000**
- **2024** – भारत में EV बिक्री: **2.08 मिलियन**
- **वैश्विक बिक्री** – 2016: **9.18 लाख** → 2024: **1.878 करोड़**
- **भारत की प्रगति (2024)** – EV बिक्री का हिस्सा केवल **7.6%**।

चुनौती:

- लक्ष्य: 2030 तक **30%**।
- अब अगले **5 वर्षों में 22% से अधिक** वृद्धि करनी होगी।
- अपनाने की रफ्तार **अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन** जैसे अग्रणी देशों से धीमी।

भारत में ईवी (EV) अपनाने की चुनौतियां व रणनीति:

चुनौतियां:

1. **वित्तीय कठिनाई** – इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों की फाइनेंसिंग में दिक्कत।
2. **चार्जिंग सुविधा की कमी** – एक ओर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों की कमी, दूसरी ओर मौजूद पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का कम उपयोग।
3. **जागरूकता की कमी** – ईवी के प्रदर्शन को लेकर सार्वजनिक और निजी हितधारकों में पर्याप्त जानकारी का अभाव।
4. **डेटा व नियामकीय खामियां** – अधूरे डेटा और नियमों की कमी से तथ्य-आधारित नीतियां बनाने में बाधा।

भारत में ईवी अपनाने की रणनीति:

1. प्रोत्साहन से अनिवार्यता की ओर बढ़ना

- जीरो एमिशन व्हीकल (ZEV) अपनाने के लिए स्पष्ट नीति और लक्ष्य समय-सीमा घोषित करना।
- ईवी के उत्पादन व खरीद को अनिवार्य करने और ICE (Internal Combustion Engine) वाहनों के उपयोग/उत्पादन को हतोत्साहित करने की योजना लागू करना।

2. संतृप्ति आधारित विस्तार (Saturation Approach)

- 5 शहरों में 5 साल के भीतर ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर का संतृप्त विकास।
- राज्यों में विशेष इकाइयों द्वारा कार्यक्रम का संचालन।
- बाद में 20 शहरों और फिर 100 शहरों तक विस्तार।

3. ई-बस और ई-ट्रक के लिए फाइनेंसिंग

- सार्वजनिक बजट और बहुपक्षीय संस्थानों के योगदान से एक संयुक्त कोष (Pooled Fund) बनाना।
- फंड के वितरण के लिए उपयुक्त योजना लागू करना।

4. नई बैटरी तकनीक पर अनुसंधान

- शैक्षणिक संस्थान, उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी बनाकर नई बैटरी केमिस्ट्री पर शोध तेज करना।

5. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का रणनीतिक विस्तार

- ई-बस और ई-ट्रक संचालन के लिए 20 हाई-डेंसिटी कॉरिडोर की पहचान।
- इन कॉरिडोर पर वोल्टेज पैटर्न के आधार पर चार्जिंग हब के स्थान तय करने के लिए अध्ययन करना।
- प्रत्येक राज्य में चार्जिंग स्टेशन स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसियां बनाना।

INS संध्याक / INS Sandhyak

संदर्भ:

भारतीय नौसेना के जहाज संधायक ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे में तीन दिवसीय दौरे के लिए प्रवेश किया, जो सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया।

आईएनएस संध्याक के बारे में:

- **पहला स्वदेशी Survey Vessel Large (SVL)**, उन्नत हाइड्रोग्राफी क्षमता के साथ
- **कमीशन**: फरवरी 2024
- **निर्माण**: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता

भूमिकाएं

1. **मुख्य कार्य:**
    - बंदरगाह, हार्बर, नौवहन चैनल/रूट, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्र का विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वे
    - समुद्री नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना
2. **द्वितीयक कार्य:**
    - खोज एवं बचाव (SAR) / मानवीय सहायता कार्य
    - नौसैनिक मिशन
    - हेलीकॉप्टर और अस्पताल सुविधा के साथ संचालन

विरासत: पूर्ववर्ती आईएनएस संध्याक का उत्तराधिकारी, जिसे 4 जून 2021 को सेवा से हटा दिया गया था

महत्व:

- भारत की **जहाज निर्माण क्षमता** का प्रदर्शन
- **आत्मनिर्भर भारत** के विजन और राष्ट्रीय **अमृत काल** लक्ष्यों के अनुरूप

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना / KLIP

संदर्भ:

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) को इसके प्रारूपण और कार्यान्वयन के तरीके को लेकर विवादों का सामना करना पड़ रहा है।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)

स्थान और परिचय

- यह परियोजना **गोदावरी नदी** पर, कालेश्वरम (भूपालपल्ली, तेलंगाना) में स्थित है।
- इसकी शुरुआत **प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम** से होती है।
- यह दुनिया की **सबसे बड़ी बहु-स्तरीय (multi-stage) लिफ्ट सिंचाई परियोजना** है।

मुख्य ढांचा (Infrastructure)

- **1,800 किमी से अधिक** लंबी नहर नेटवर्क।
- गोदावरी पर **रामदुगु, मेडिगड्डा, सुंडिल्ला और अन्नाराम** में बैराज (barrages) बनाए गए हैं।

उद्देश्य

- बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को **सिंचाई जल** उपलब्ध कराना।
- स्थानीय लोगों की **पीने के पानी की जरूरत** पूरी करना।

लिफ्ट सिंचाई क्या है?

- इसमें पानी को **गुरुत्वाकर्षण (gravity)** से नहीं, बल्कि **पंप या सर्ज पूल** के जरिए ऊँचाई तक उठाकर मुख्य डिलीवरी चैंबर तक पहुँचाया जाता है।
- वहाँ से पानी खेतों में वितरित किया जाता है।

महत्व: **कृषि उत्पादन, पीने के पानी की आपूर्ति** और **ग्रामीण विकास** में सहायक।

रक्षा उत्पादन / Defence Production

संदर्भ:

भारत का वार्षिक **रक्षा उत्पादन** वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1,50,590 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

उत्पादन (Production)

वृद्धि (Growth):

- 2023-24 के ₹1.27 लाख करोड़ के उत्पादन से लगभग **18% अधिक**।
- 2019-20 के ₹79,071 करोड़ की तुलना में **90% लंबी अवधि की वृद्धि**।

रक्षा निर्यात (Defence Exports):

- 2024-25: ₹23,622 करोड़ – अब तक का **सबसे अधिक**।
- 2023-24 के ₹21,083 करोड़ से ₹2,539 करोड़ (12.04%) की वृद्धि।

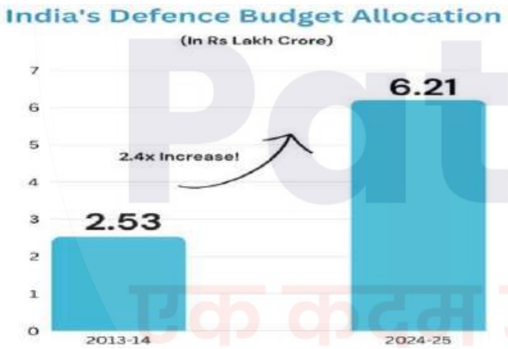

महत्व (Significance):

- **रणनीतिक:** रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूती।
- **आर्थिक:** औद्योगिक आधार का विस्तार और निर्यात क्षमता में वृद्धि।

भविष्य दृष्टि (Future Outlook):

- नीति समर्थन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और वैश्विक बाज़ार में बढ़ती मौजूदगी से सतत विकास की संभावना।
- लक्ष्य: **₹3 लाख करोड़ रक्षा उत्पादन** और **₹50,000 करोड़ निर्यात** 2029 तक।

निद्रा रोग / Sleeping sickness

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की है कि केन्या ने निद्रा रोग (स्लीपिंग सिकनेस) को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है।

नींद की बीमारी (Sleeping Sickness) के बारे में:

- **परिचय** – यह एक **vector-borne disease** (वाहक जनित रोग) है, जिसे **Human African Trypanosomiasis (HAT)** भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से **सब-सहारा अफ्रीका** (Sub-Saharan Africa) में पाई जाती है।
- **कारण** – यह रोग **Trypanosoma** वंश के प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, जो **tsetse मक्खी (Glossina)** के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह मक्खी परजीवी को संक्रमित मनुष्यों या जानवरों से प्राप्त करती है।
- **जोखिम वाले लोग** – ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, विशेषकर कृषि, मछली पकड़ने, पशुपालन या शिकार पर निर्भर लोग सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं।
- **लक्षण** –
  - बुखार
  - सिरदर्द
  - जोड़ों में दर्द
  - गंभीर अवस्था में मानसिक भ्रम, नींद-जागने के समय में गड़बड़ी, व्यवहार में बदलाव
- **गंभीरता** – इलाज न मिलने पर यह रोग प्रायः **घातक (fatal)** होता है।
- **इलाज** – सामान्य उपचार में **Pentamidine** और **Nifurtimox** जैसी दवाएं शामिल हैं।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
~~₹6000/-~~
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
BBK
EMI AVAILABLE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR